

## नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 80

## सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	11250.51	3345.49	14596.00	9680.76	2913.83	12594.59	12008.65	1977.22	13985.87	
पूंजी	6269.55	769.51	7039.06	6870.55	476.06	7346.61	7885.10	2207.68	10092.78	
जोड़	17520.06	4115.00	21635.06	16551.31	3389.89	19941.20	19893.75	4184.90	24078.65	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	52.21	52.21	...	53.10	53.10	...	48.32	48.32
2. बी आर डी बी सचिवालय	3451	...	46.00	46.00	...	50.30	50.30	...	283.65	283.65
<b>सड़क परिवहन</b>										
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	252.00	...	252.00	132.00	...	132.00	300.00	...	300.00
<b>जोड़ -सड़क परिवहन</b>		<b>252.00</b>	...	<b>252.00</b>	<b>132.00</b>	...	<b>132.00</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>
4. सड़कें और पुल										
4.1 राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव	3054	...	1062.50	1062.50	...	1059.66	1059.66	...	1057.42	1057.42
4.2.1 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	5054	4140.55	...	4140.55	4261.55	...	4261.55	4985.10	...	4985.10
4.2.2 ईएपी संघटक	5054	...	...	...	272.00	...	272.00	420.00	...	420.00
जोड़		<b>4140.55</b>	...	<b>4140.55</b>	<b>4533.55</b>	...	<b>4533.55</b>	<b>5405.10</b>	...	<b>5405.10</b>
4.3 राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरण एवं राजमार्ग प्रशासन	3054	...	4.90	4.90	...	1.74	1.74	...	3.77	3.77
जोड़		<b>4140.55</b>	<b>1067.40</b>	<b>5207.95</b>	<b>4533.55</b>	<b>1061.40</b>	<b>5594.95</b>	<b>5405.10</b>	<b>1061.19</b>	<b>6466.29</b>
5. बी.आर.डी.बी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य										
5.1 बी.आर.डी.बी के तहत सड़क निर्माण कार्य	3601	...	1929.49	1929.49	...	1500.96	1500.96	...	...	...
5.2 बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य	5054	550.00	769.51	1319.51	706.00	476.06	1182.06	650.00	2207.68	2857.68
5.3 अन्य निर्माण कार्य	3054	...	175.00	175.00	...	172.68	172.68	...	508.67	508.67
जोड़		<b>550.00</b>	<b>2874.00</b>	<b>3424.00</b>	<b>706.00</b>	<b>2149.70</b>	<b>2855.70</b>	<b>650.00</b>	<b>2716.35</b>	<b>3366.35</b>
6. महत्वपूर्ण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00	105.00	...	105.00
7. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं										
7.01 राज्यों को अनुदान	3601	1988.55	...	1988.55	1716.21	...	1716.21	1819.17	...	1819.17
7.02 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3601	213.97	...	213.97	184.67	...	184.67	195.75	...	195.75
जोड़		<b>-2202.52</b>	...	<b>-2202.52</b>	<b>-1900.88</b>	...	<b>-1900.88</b>	<b>-2014.92</b>	...	<b>-2014.92</b>
7.03 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान										
7.03.1 राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	3602	60.00	...	60.00	51.78	...	51.78	54.89	...	54.89
7.03.2 पुदुचेरी	3602	9.40	...	9.40	8.11	...	8.11	8.60	...	8.60
7.04 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3602	16.03	...	16.03	13.83	...	13.83	14.67	...	14.67
जोड़		<b>-85.43</b>	...	<b>-85.43</b>	<b>-73.72</b>	...	<b>-73.72</b>	<b>-78.16</b>	...	<b>-78.16</b>
7.05 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान										
7.05.1 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	4.05	...	4.05	3.50	...	3.50	3.70	...	3.70
7.05.2 चण्डीगढ़	3054	4.34	...	4.34	3.75	...	3.75	3.98	...	3.98
7.05.3 दादरा और नागर हवेली	3054	2.03	...	2.03	1.75	...	1.75	1.86	...	1.86
7.05.4 लक्षदीप	3054	0.15	...	0.15	0.13	...	0.13	0.14	...	0.14
7.05.5 दमन और दीव	3054	1.54	...	1.54	1.33	...	1.33	1.41	...	1.41
जोड़		<b>12.11</b>	...	<b>12.11</b>	<b>10.46</b>	...	<b>10.46</b>	<b>11.09</b>	...	<b>11.09</b>
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3054	-12.11	...	-12.11	-10.46	...	-10.46	-11.09	...	-11.09
<b>जोड़-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित स्कीमें</b>		...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>अन्य परिवहन सेवाएं</b>										
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	5054	8578.45	...	8578.45	7404.70	...	7404.70	9471.98	...	9471.98
जिसे व्हाष्ट्रीय राजमार्ग से पूरा किया जाएगा	5054	-8578.45	...	-8578.45	-7404.70	...	-7404.70	-7848.98	...	-7848.98
स्थायी पुल शुल्क निधि	5054	...	...	...	...	...	...	-1623.00	...	-1623.00

सं. 80/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.1 ईएपी ऋण	7075	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	80.00	...	80.00
जोड़		68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	80.00	...	80.00
9. अन्य व्यय										
9.01 विकास और योजना	3054	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	7.50	...	7.50
जोड़ - अन्य परिवहन सेवाएं		75.00	...	75.00	74.00	...	74.00	87.50	...	87.50
10. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण	3054	10878.51	...	10878.51	9389.76	...	9389.76	9953.15	...	9953.15
11. पुल शुल्क के संग्रहण की लागत राज्यों को देय निधियां	3054	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
घटाइए-वसूलियां	3054	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्त पोषित योजनाएं	5054	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	120.00	...	120.00
घटाइए-वसूलियां	5054	-90.00	...	-90.00	-90.00	...	-90.00	-120.00	...	-120.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि - अन्तरण										
13.01 पुलों पर चूंगी	3054	...	75.39	75.39	...	75.39	75.39	...	75.39	75.39
13.02 एन एच ए आई द्वारा संग्रहित राजमार्गों पर चूंगी	3054	...	...	...	...	...	...	1623.00	...	1623.00
जोड़		...	75.39	75.39	...	75.39	75.39	1623.00	75.39	1698.39
14. आर्थिक महत्व की सड़कों का विकास, चौड़ा करना एवं अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी	3601	53.00	...	53.00	53.00	...	53.00	20.00	...	20.00
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	1511.00	...	1511.00	1563.00	...	1563.00	1750.00	...	1750.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>17520.06</b>	<b>4115.00</b>	<b>21635.06</b>	<b>16551.31</b>	<b>3389.89</b>	<b>19941.20</b>	<b>19893.75</b>	<b>4184.90</b>	<b>24078.65</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13054	8646.45	5000.00	13646.45	7472.70	4000.00	11472.70	9551.98	7455.00	17006.98
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. सड़कें और पुल	13054	13939.00	5000.00	18939.00	13201.75	4000.00	17201.75	16250.00	7455.00	23705.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1511.00	...	1511.00	1563.00	...	1563.00	1750.00	...	1750.00
<b>राज्य आयोजना</b>										
1. सड़कें और पुल	43601	1988.55	...	1988.55	1716.21	...	1716.21	1819.17	...	1819.17
<b>संघ राज्य क्षेत्र आयोजना</b>										
विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र										
1. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	43602	60.00	...	60.00	51.78	...	51.78	54.89	...	54.89
2. पुदुचेरी	43602	9.40	...	9.40	8.11	...	8.11	8.60	...	8.60
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	43602	12.11	...	12.11	10.46	...	10.46	11.09	...	11.09
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना		81.51	...	81.51	70.35	...	70.35	74.58	...	74.58
<b>जोड़</b>		<b>17520.06</b>	<b>5000.00</b>	<b>22520.06</b>	<b>16551.31</b>	<b>4000.00</b>	<b>20551.31</b>	<b>19893.75</b>	<b>7455.00</b>	<b>27348.75</b>

1. यह व्यवस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था सीमा सड़क विकास बोर्ड के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए है। इसमें पीड़ितों के लिए प्राथमिक उपचार तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना, राष्ट्रीय आंकड़ा आधार नेटवर्क का

विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना आदि भी शामिल है।

4.1 यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय हेतु की गई है। ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड के सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल द्वारा भी पूरे किए जाते हैं।

4.2 इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर व्यय के लिए व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत एक्सप्रेस मार्ग और स्वर्ण चतुर्भुज

के भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर 6 वाहन मार्ग (लेनिंग) और राजमार्गों पर 2 वाहन मार्ग बनाने, मुंगेर में रेल-सह-सड़क पुल, गुजरात में डांडी परियोजना और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क विजयवाड़ा रांची सड़क के विकास के विशेष कार्यक्रम से संबंधित परियोजनायें शामिल हैं। निर्माण कार्यों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां भी शामिल हैं।

4.3 यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय, उनके कार्यालयों के प्रबंध पर व्यय के लिए एवं राज्य सरकारों को जनशक्ति की लागत तथा राजमार्ग प्रशासन की स्टाफ व्यवस्था के संबंध में अन्य अनुषंगी लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

5 और 6. इन प्रावधानों में सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.) द्वारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता शामिल है। साथ ही बी.आर.डी.बी. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए भी व्यवस्था है। इसमें हिमाचल प्रदेश में संसारी नाला किलस, थिरोट सड़क के लिए भी प्रावधान शामिल है।

7. यह प्रावधान विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमोदित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तथा अन्तर राज्यीय और/या आर्थिक महत्व की चुनिंदा सड़कों के विकास के लिए है ताकि बेहतर सड़क अवसंरचना को संवर्धित किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां जारी की जाती हैं।

8. इस प्रावधान में संगठन को निष्पादन के लिए सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को

दिए जाने वाले निवेश शामिल हैं। परियोजनाओं का वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि और 20% विदेशी ऋणों से किया जाता है।

9. इसमें अनुसंधान एवं विकास तथा सड़क विकास संबंधी आयोजना अध्ययनों तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, सेमिनारों पर होने वाला व्यय शामिल है।

10. केन्द्रीय सड़क निधि का दिसंबर 2000 में अधिनियमित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के तहत पुनर्गठन किया गया था। मोटर स्पिरिट और एचएसडी पर संग्रहित उपकर का एक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के विकास के लिए अलग रखा जाता है जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क शामिल है और इस प्रावधान के द्वारा व्यपगत न होने वाली केन्द्रीय सड़क निधि को राशि अंतरित की जाती है। यह राशि अंततः देश में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए एन एच ए आई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी की जाती है।

11, 12, और 13. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि, के अधीन किए गए लेन-देनों से संबंधित है। इस प्रावधान में यंत्रचालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाये गये शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंगी एवं राजस्व भाग तथा बीओटी परियोजनाओं पर प्राप्त ऋणात्मक अनुदानों के रूप में सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व शामिल हैं। निधि का उपयोग सरकार द्वारा किए जाने वाले और एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए होता है। इसमें शुल्कों की संग्रहण लागत के प्रति राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले भुगतान भी शामिल है।

14. इसमें उड़ीसा में डुबरी-भ्रमनिपाल-हरिचंदनपुर-नरानपुर-क्योंझर सड़क को चार लेनों वाला बनाने के लिए प्रावधान शामिल है।

15. यह प्रावधान ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग और कलादान मल्टी मोडल परिवहन परियोजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है।